जिला सोलन खेलकूद, शिक्षा संस्कृति,पुस्तकालय व् अन्य ग्रामीण विकास निधि, जिला सोलन, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2013 से 31-03-2018

1 गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

गत लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों की स्थिति के अवलोकन के उपरान्त पाया गया कि इन अंकेक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित अनिर्णीत पैरों के निपटारे हेतु विभाग द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप अनिर्णीत पैरों की संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। अतः अनिर्णीत पैरों पर अपेक्षित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर की जाए। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के पैरों की नवीनतम स्थिति **परिशिष्ट (क)** में दर्शाई गई है।

2 वर्तमान अंकेक्षण

अवधि 01.04.2013 से 31.03.2018 के लेखाओं का अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में दिए गए है, श्री अमर दत्त, अनुभाग अधिकारी व श्री प्रनेश कुमार, लेखा परीक्षक द्वारा किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 3/2014, 8/2014, 6/2015, 3/2017 और 4/2017 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 5/2013, 2/2015, 9/2015, 9/2016 और 10/2017 का चयन किया गया ।

यह अंकेक्षण प्रतिवेदन/नियन्त्रण अधिकारी जिला सोलन खेलकूद, शिक्षा, संस्कृति, पुस्तकालय व अन्य ग्रामीण विकास निधि, जिला सोलन द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं/अभिलेखों के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग उक्त संस्था द्वारा उपलब्ध करवाई गई किसी भी प्रकार की गलत सूचना या सूचना के उपलब्ध न करने के कारण पाई गई त्रुटि हेतु उत्तरदायी नहीं है।

अंकेक्षणाधीन अवधि 01.04.2013 से 31.03.2018 के दौरान उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त के पद पर कार्यरत रहे पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0सं0	पदाधिकारी का नाम	पद	अवधि
1	श्रीमति मीरा मोहन्ती	उपायुक्त	1.4.2013 से 1.7.2013
2	श्री मदन चौहान	उपायुक्त	2.7.2013 से 18.2.2016
3	श्री राकेश कँवर	उपायुक्त	19.2.2016 से 6.1.2018
4	श्री हंसराज शर्मा	उपायुक्त	6.1.2018 से 23.2.2018
5	श्री विनोद कुमार	उपायुक्त	23.2.2018 से लगातार
6	श्री सुभाष सकलानी	सहायक आयुक्त	1.4.2013 से 31.3.2015
7	श्री एस डी नेगी	सहायक आयुक्त	1.4.2015 से 7.4.2015

8	राणा प्रीतपाल सिंह	सहायक आयुक्त	7.4.2015 से 3.8.2015
9	श्रीमति छवि नान्टा	सहायक आयुक्त	3.8.2015 से 20.2.2017
10	श्री बाबू राम शर्मा	सहायक आयुक्त	26.6.2017 से 18.1.2018
11	श्रीमति शिल्पी बेक्टा	सहायक आयुक्त	18.1.2018 से 15.6.2018
12	श्री रजनेश कुमार	सहायक आयुक्त	9.7.2018 से लगातार

3 अंकेक्षण शुल्कः–

जिला सोलन खेलकूद, शिक्षा संस्कृति, पुस्तकालय व अन्य ग्रामीण विकास निधि, जिला सोलन, के अवधि 01.04.2013 से 31.03.2018 के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹12600 आंका गया जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 के नाम भेजने हेतु जिलाधीश, सोलन जिला सोलन से अध्यिाचना संख्या LAD/SML/SLN/Audit/2018-19/04 दिनांक 19/11/2018 द्वारा अनुरोध किया गया। जिसके सन्दर्भ में संस्था द्वारा स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, सोलन के बैंक ड्राफ्ट संख्या : 678052 दिनांक 27/11/2018 के माध्यम से उक्त अंकेक्षण का राशि को निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009 को प्रेषित कर दिया गया।

4 वित्तीय स्थितिः–

जिला सोलन खेलकूद, शिक्षा संस्कृति, पुस्तकालय व अन्य ग्रामीण विकास निधि, जिला सोलन द्वारा प्रस्तुत संस्था की अवधि 01.04.2013 से 31.03.2018 की वित्तिय स्थिति **परिशिष्ट (ख)** पर संलग्न है। रोकड़ बही तथा बैंक पास बुक का नियमानुसार प्रतिमाह मिलान न करने के कारण दोनों के अंतिम शेष में दिनांक 31/03/2018 को ₹233098 का अन्तर पाया गया है, जिस बारे अंकेक्षण ज्ञापन संख्या: LAD/SML/SLN/Audit/2018-19/01 दिनांक 14/11/2018 द्वारा रोकड़ बही के शेष का बैंक खाते के साथ मिलान करके अन्तर को सही करने के उपरांत अंकेक्षण को अवगत करवाये जाने बारे कहा गया था ! परन्तु, संस्था द्वारा अंकेक्षण अवधि की समाप्ति तक इस बारे कोई भी कार्यवाही अम्ल में नहीं लाई गई ! रोकड़ बही तथा बैंक खाते में अन्तर का विवरण निम्नानुसार है ।

क्र० संख्या	**विवरण**	**राशि (₹)**
1	दिनांक 31/03/2018 को बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष	16,04,625.06
2	दिनांक 31/03/2018 को रोकड़ बही / वित्तीय स्थिति के अनुसार अन्तिम शेष {21,89,586.06 (सावधि जमा सहित)-8,18,059 (सावधि जमा शेष)},विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-ख** पर दिया गया है !	13,71,527.06
	अन्तर	2,33,098.00

रोकड़ बही का सम्बंधित बैंक खाते के साथ मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अतः इस अनियमितता के बारे मे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए रोकड़ बही का बैंक खाते के साथ मिलान कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

5 निवेशः—

जिला पुरस्कार निधि से दिनांक 31.3.2018 तक ₹8,18,059 सावधिक जमा योजना में निवेशित की गई है जिसका विस्तृत ब्यौरा **परिशिष्ट "ग"** पर संलग्न है।

6 अनुदानः—

जिला सोलन खेलकूद, शिक्षा, संस्कृति, पुस्तकालय व अन्य ग्रामीण विकास निधि, जिला सोलन को अवधि 01.04.13 से 31.03.18 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार से कोई भी राशि अनुदान के रूप में प्राप्त नहीं हुई है, जैसा कि अंकेक्षण अधियाचना संख्या: LAD/SML/SLN/Audit/2018-19/02 दिनांक 17/11/2018 के प्रत्यूत्तर में अंकेक्षण को पत्र संख्या U.O.No.ACCtts(S.S.) V-8/2008- दिनांक 17/11/2018 द्वारा अवगत करवाया गया है !

7 बचत खाते में आवश्यकता से अधिक राशी जमा रखने से ब्याज के रूप में प्राप्त होने वाली आय की हानि बारे :

संस्था के लेखों की जाँच करने पर पाया गया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सोलन के बचत खाता संख्या 55080128621 में आवश्यकता से अधिक राशि रखी गई है। इस सन्दर्भ में वर्णित किया जाता है कि बचत खातों पर ब्याज की दर सावधिक जमा योजना की तुलना में बहुत ही कम होती है। अतः परामर्श दिया जाता है कि संस्था द्वारा अपने नियमित दैनिक खर्चों का आंकलन कर, आवश्यकता से आध्कि राशि को सावधि जमा में निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाये, ताकि ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय अर्जित की जा सके !

8 जिला औषधालय (District Hospital) सोलन के समीप लघु बचत निधि से निर्मित दुकान संख्या 2,3 व 4 के सम्बन्ध में किराया करारनामें की शर्तों का पालन न करना :

लघु बचत विभाग सोलन द्वारा जिला औषधालय सोलन के समीप लघु बचत निधि से कुछ दुकानों का निर्माण कर उन्हें मासिक किराए पर दिया गया है! लघु बचत विभाग द्वारा विभिन्न दुकानदारों को इन दुकानों को किराये पर देने से पूर्व उनसे **11** माह का करारनामा किया गया है जिसकी शर्त संख्या **10** में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि कोई दुकानदार **11** माह के उपरान्त दुकान को किराये पर लेने

हेतु पुनः करारनामा नहीं करता है तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष महोदय को दुकान को खाली करवाने का अधिकार होगा !

चूँकि दुकान नम्बर **3** के किरायेदार श्री अनिल ठाकुर द्वारा **11** माह की अवधि **1/8/2009** से **30/06/2010** तक किया गया करारनामा **,** दिनांक **30/06/2010** को समाप्त हो चुका था, के उपरान्त अवधि 1/07/**2010** से **30/04/2015** तक कोई भी करारनामा नहीं किया गया था, जोकि करारनामे की शर्त संख्या 10 का उलंघन था ! इसी प्रकार दुकान नम्बर **2** तथा **4** के किरायेदार श्री विरेन्दर सूद द्वारा भी अवधि **1.10.2009** से **31.12.2014** तक कोई भी करारनामा नहीं किया गया था जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अतिशीघ्र करारनामे की शर्तो का सख्ती से पालन किया जाए !

9 किराये की बकाया राशी ₹1.91 लाख वसूली हेतु शेष :

अंकेक्षण अधियाचना संख्या: LAD/SML/SLN/Audit/2018-19/01 दिनांक 14/11/2018 के प्रत्यूत्तर में पत्र संख्या U.O.No.ACCtts(S.S.) V-8/2008- दिनांक 17/11/2018 द्वारा संलग्न **परिशिष्ट (घ)** के भाग (A) से स्पष्ट होता है कि दिनांक 31.3.2018 तक जिला सोलन खेलकूद, शिक्षा, संस्कृति, पुस्तकालय व अन्य ग्रामीण विकास निधि को किराए की बकाया राशि ₹1,91,458 प्राप्त होनी शेष थी। अतः किराये की बकाया राशि की शीघ्र अतिशीघ्र वसूली करके कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

10 लघु बचत निधि से क्रय किये गए टिप्पर H.P.14-2400 की नगरपालिका सोलन से ₹7.12 लाख की वसूली शेष:

उपायुक्त कार्यालय सोलन द्वारा वर्ष 1995 में लघु बचत निधि से एक टिप्पर क्रय किया गया था जिसे दिनांक 15/08/1995 को नगरपालिका सोलन के साथ करारनामा कर पट्टे पर दिया गया है,करारनामें की शर्त संख्या 2 के अनुसार नगरपालिका द्वारा ₹4500 प्रतिमाह की दर से टिप्पर का किराया लघु बचत विभाग सोलन को दिया जाना था, चाहे नगरपालिका सोलन द्वारा टिप्पर को उपयोग में लाया गया हो या नहीं ! इसके अतिरिक्त करारनामें की शर्त संख्या 6 के अनुसार यदि पट्टाधारक टिप्पर को वापिस करना चाहे तो समयबद्द नोटिस देने के उपरान्त टिप्पर को लघु बचत विभाग को वापिस भी कर सकता है !

अतः जब तक नगरपालिका सोलन द्वारा टिप्पर को उपायुक्त कार्यालय को वापिस नहीं किया जाता है तब तक ₹150 प्रतिदिन की दर से टिप्पर का किराया वसूला जाना अपेक्षित था परन्तु नगर पालिका सोलन द्वारा पिछले कई वर्षो से टिप्पर के मासिक किराये का भुगतान नहीं किया जा रहा है ! दिनांक 31/03/2018 तक नगर पालिका सोलन से टिप्पर के किराये की बकाया राशी की शेष वसूली ₹7,11,897 हो चुकी है जैसा की अंकेक्षण अधियाचना संख्या: LAD/SML/SLN/Audit/2018-19/01 दिनांक 14/11/2018 के प्रत्यूत्तर में पत्र संख्या U.O.No.ACCtts(S.S.) V-8/2008- दिनांक 17/11/2018

(विवरणी **परिशिष्ट (घ)** पर संलग्न है) के भाग (B) द्वारा अंकेक्षण को सूचित किया गया है ! अतः बकाया राशि की शीघ्र अतिशीघ्र वसूली कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए !

11 सूचना एवं जन संपर्क विभाग से अनुमोदन प्राप्त किये बिना विज्ञापन पर ₹47,500 का अनियमित व्यय:

अंकेक्षण हेतु चयनित माह के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि संस्था द्वारा लघु बचत सम्बन्धी विज्ञापनो का प्रकाशन सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से विज्ञापित नहीं करवाया गया है और न ही विज्ञापन पर व्यय की गई राशि का 15 प्रतिशत भाग सरकारी कोष में कमीशन के रूप में जमा किया गया है जबकि सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के पत्र संख्या 15–1/2006–Pub.-14263–92 दिनांक 30.8.2006, पत्र संख्या 15–11/2008–Pub.–22529 दिनांक 7.2.2008 व पत्र संख्या I&PR-H(F)6(Advts.)-4(App.)/2013-2976 दिनांक 5/07/2013 द्वारा इस सम्बन्ध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए है कि विज्ञापनों को उक्त विभाग से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रकाशित किया जाये परन्तु लघु बचत विभाग सोलन द्वारा किसी भी विज्ञापन को प्रकाशित किये जाने से पूर्व सूचना एवं जनसंपर्क विभाग से कोई भी अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है,जिस कारण से हिमाचल प्रदेश सरकार को विज्ञापन से प्राप्त होने 15% कमीशन की आय से वंचित होने के साथ साथ लघु बचत निधि से विज्ञापन के रूप में भी अधिक मूल्य का भुगतान किया गया है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान किये गए सभी विज्ञापनों पर 15% कमीशन काटकर उसे सरकारी कोष में जमा किया जाए ! गत अंकेक्षण प्रतिवेदन में भी सरकार के उक्त आदेशों की अवहेलना करने सम्बन्धी अंकेक्षण आपत्ति उठाई गई थी परन्तु संस्था द्वारा इसे नजरंदाज कर निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग से अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही विज्ञापन करवाया जा रहा है जोकि बहुत ही गंभीर प्रकरण है तथा इस प्रकार सरकारी आदेशों की अवहेलना कर करवाए जा रहे कार्यों से सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले निर्देशों व अंकेक्षण करवाए जाने का औचित्य ही समाप्त हो जाता है ! जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा वांछित कार्यवाही कर अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए !

अंकेक्षण अवधि के दौरान निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग,हि0प्र0 से अनुमोदन प्राप्त किये बिना ही किये गए विज्ञापन का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रम	**प्रकाशक/संपादक का नाम**	**बिल सं0**	**दिनांक**	**राशि**
1	हिमाचल प्रदेश, फ्लोर बाल एसोसिएशन, शिमला	**HPFA/SI/13-14/0021**	**8/10/2014**	**10,000/-**
2	सचिव, जिला रेड क्रॉस सोसाइटी,धर्मशाला	**RX/2014/2176**	**15/01/15**	**7500/-**

3	उपायुक्त एवं अध्यक्ष, दशहरा समिति, कुल्लू	**004**	**17/01/15**	**10000/-**
4	संपादक, ग्राम परिवेश, हिंदी साप्ताहिक,114-पीसी चैम्बर,शिमला	**101**	**30/01/15**	**10000/-**
5	शूलिनी समाचार, हिंदी विकली,शिमला	**3799**	**15/09/16**	**10000/-**
				47,500/-

12 मुद्रण एवं स्टेशनरी विभाग हि०प्र० से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त किये बिना ही ASLASS-6 **फार्म की छपवाई पर ₹1 . 52 लाख का व्यय :**

अंकेक्षण हेतु चयनित माह **5/2013** के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि लघु बचत विभाग सोलन द्वारा विभिन्न एजेंटों को जारी करने हेतु मै० भगवती प्रिंटर्स,भगवती निवास,जौणाजी रोड, सोलन से **ASLASS-6** फार्म की **2,00,000** प्रतियों की छपवाई उनके बिल संख्या **0386** दिनांक **6/8/2012** द्वारा **₹1,60,000** में न्यूनतम संविदा के आधार पर छपवाई गई, तदोपरांत आवश्यक **negotiation** कर चैक संख्या **120576** दिनांक **29/05/2013** द्वारा **₹1,52,000** का भुगतान मै० भगवती प्रिंटर्स,सोलन को किया गया जबकि **ASLASS-6** फार्म की छपवाई का कार्य मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश, शिमला से करवाया जाना वांछित था,परन्तु न तो संस्था द्वारा फार्म की छपवाई का कार्य मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग हिमाचल प्रदेश से करवाया गया और न ही न्यूनतम संविदा के आधार पर खुले बाज़ार से करवाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र ही प्राप्त किया गया, जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के साथ साथ अनियमित भी है जिस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया जाए तथा भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता की पुनरावृति न की जाए !

13 लघु बचत भवन,नालागढ़ के निर्माण हेतु प्रदान की गई ₹23 . 18 लाख का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त न करना :

जिलाधीश सोलन, जिला सोलन द्वारा लघु बचत भवन नालागढ़ के कार्यालय को सुरक्षा की दृष्टि से जांच करने हेतु गठित की गई कमेटी की रिपोर्ट द्वारा असुरक्षित घोषित किये जाने व उपमंडलाधिकारी (नागरिक),नालागढ़ द्वारा लघु बचत भवन के पुनः निर्माण हेतु प्रस्तुत किये गए लागत अनुमान **₹23,18,000** के आधार पर लघु बचत भवन के पुनः निर्माण हेतु स्वीकृति आदेश संख्या: लेखा (एस एस)II-6/1994-II-**110278** दिनांक **18/05/2017** द्वारा पहली क़िस्त चैक संख्या **178915** दिनांक **19/05/2017** **₹10,00,000/-** व दूसरी क़िस्त चैक संख्या **682496** दिनांक **23/10/2017** द्वारा ₹13,18,000/- की इस शर्त पर जारी की गई की उपमंडलाधिकारी (नागरिक),नालागढ़ द्वारा लघु बचत भवन की पुरानी ईमारत को गिराए जाने के उपरान्त जो सामान निकलेगा उसकी नीलामी करवाकर प्राप्त राशि को लघु बचत निधि में जमा करवाया जाये तथा लघु बचत भवन के निर्माण के उपरान्त उपयोग की गई **₹23,18,000** का

उपयोगिता प्रमाण पत्र व कार्य के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र जिलाधीश कार्यालय सोलन को प्रस्तुत करेंगे परन्तु उपमंडलाधिकारी (नागरिक),नालागढ़ द्वारा न तो लघु बचत भवन की पुरानी ईमारत को गिराए जाने के उपरान्त निकले सामान को उसकी नीलामी से प्राप्त राशि को लघु बचत निधि में जमा करवाया गया है और न ही लघु बचत भवन के निर्माण में उपयोग की गई **₹23,18,000** का उपयोगिता प्रमाण पत्र व कार्य के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र ही जिलाधीश कार्यालय सोलन में प्रस्तुत किया गया जिसे शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त कर अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाये !

14 शासकीय टिकटों के क्रय हेतु ₹0 . 90 लाख का अनियमित भुगतान :

अंकेक्षण हेतु चयनित माह के अंकेक्षण के दौरान पाया गया की लघु बचत निधि सोलन से निम्न विवरणानुसार **₹90,000/-** का भुगतान शासकीय टिकटों के क्रय हेतु किया गया है !

क्रम संख्या	चैक संख्या	दिनांक	विवरण	राशि
1	**362295**	**25/02/2015**	जिला नाज़र, जिला सोलन को जारी किया गया, शासकीय टिकटों के क्रय हेतु	**40,000/-**
2	**362307**	**24/09/2015**	जिला नाज़र, जिला सोलन को जारी किया गया, शासकीय टिकटों के क्रय हेतु	**50,000/-**
			कुल राशि	**90,000/-**

उक्त राशि के भुगतान से सम्बंधित कोई भी अभिलेख/बिल सम्बंधित नस्ति में उपलब्ध नहीं था जिस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या: **LAD/SML/SLN/Audit/2018-19/03** दिनांक **17/11/2018,** जारी कर सम्बंधित बिल को प्रस्तुत करने बारे कहा गया था ! परन्तु अंकेक्षण की समाप्ति तक लघु बचत विभाग द्वारा उक्त राशि के भुगतान से सम्बंधित बिल को अंकेक्षण के समक्ष सत्यापन/जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया ! अतः बिना बिल के **₹90,000/-** के भुगतान का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा उक्त राशि के भुगतान से सम्बंधित बिल को आगामी अंकेक्षण के समय अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाना प्रस्तुत किया जाये अन्यथा इसकी वसूली सम्बन्धित से की जाए !

15 लघु बचत निधि से E governance Society हेतु ₹0.59 लाख के कंप्यूटर, प्रिंटर व यूपीएस का अनियमित क्रय :

माह **09/2015** के व्यय बिलों की जांच के दौरान पाया गया की लघु बचत निधि से **₹58,800,** का भुगतान चैक संख्या **312306** दिनांक **18/09/2015** द्वारा कंप्यूटर,प्रिंटर व यूपीएस का क्रय करने हेतु किया गया जिसका बिल हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड द्वारा सदस्य सचिव **E governance Society** एवं सहायक आयुक्त,जिलाधीश कार्यालय सोलन के नाम से जारी किया गया इसके अतिरिक्त क्रय किये गए कंप्यूटर आदि की स्टॉक प्रविष्टि भी लघु बचत निधि के स्टॉक रजिस्टर में नहीं की

गई है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि लघु बचत निधि से **E governance Society** हेतु उक्त मदों का क्रय किया गया है जोकि लघु बचत निधि पर उचित प्रभार नहीं है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा **₹58,800/-** को **E governance Society** निधि से स्थानान्तरित कर लघु बचत निधि में जमा किया जाए तदानुसार अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए !

16 लघु बचत पुरूस्कार निधि से ₹4 . 75 लाख के Wrestling Mats का अनियमित क्रय :

अंकेक्षण हेतु चयनित माह के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि जिलाधीश महोदय द्वारा **₹4,75,000/-** के **wrestling Mats** के क्रय हेतु लघु बचत निधि से स्वीकृति आदेश संख्या लेखा (एस एस) **VII-6/2015-** दिनांक **8/09/2016** के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की गई है तथा भुगतान चैक संख्या **362326** दिनांक **8/9/2016** द्वारा किया गया है परन्तु बिल जिला खेल अधिकारी, सोलन के नाम से दिया गया है ! लघु बचत निधि से **wrestling mats** के क्रय पर किया गया **₹4,75,000** का व्यय उचित प्रतीत नहीं होता है जिस बारे निदेशक, लघु बचत विभाग, हिमाचल प्रदेश से इस बारे आवश्यक कार्योत्तर स्वीकृति /स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए कि, क्या लघु बचत निधि से **wrestling mats** के क्रय पर किया गया व्यय लघु बचत निधि पर उचित प्रभार है या नहीं तथा वस्तु स्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए !

17 उप निदेशक, (उच्चतर शिक्षा) को गर्ल्स टूर्नामेंट हेतु ₹3 . 00 लाख का अनियमित व्यय :

लघु बचत निधि से चैक संख्या **362328** दिनांक **14/09/2016** द्वारा ₹3,00,000 का भुगतान उप निदेशक, उच्चतर शिक्षा, सोलन को नालागढ़, जिला सोलन में अवधि **23/09/2016** से **26/09/2016** तक गर्ल्स टूर्नामेंट के आयोजन हेतु किया गया है जिसका उपयोगिता प्रमाणपत्र उप निदेशक, उच्चतर शिक्षा, सोलन द्वारा लघु बचत विभाग सोलन को प्रस्तुत किया गया है, परन्तु लघु बचत निधि से टूर्नामेंट के आयोजन हेतु धन राशि का जारी किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है जिस बारे निदेशक, लघु बचत विभाग, हिमाचल प्रदेश से इस बारे आवश्यक कार्योत्तर स्वीकृति /स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए तथा वस्तु स्थिति से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए !

18 भण्डार का भौतिक सत्यापन न करवाया जाना :

हिमाचल प्रदेश वित्तिय नियम, 2009 नियम 140 के अनुसार स्टोर का भौतिक सत्यापन वर्ष में कम से कम एक बार किया जाना अपेक्षित है। अंकेक्षण के दौरान स्टॉक रजिस्टर के अवलोकन करने पर पाया गया कि स्टोर/स्टॉक का भौतिक सत्यापन 21.8.2010 के उपरान्त नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त 21.8.2010 को किए गए भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट के अनुसार जिन मदों को अनुपयोगी घोषित किया गया था उनकी अभी तक नीलामी नहीं की गई है। अतः अनुपयोगी मदों की नीलामी न करने के कारण स्पष्ट किए जाएं तथा अनुपयोगी मदों की शीघ्र अतिशीघ्र नीलामी करवाई जानी सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालना

अंकेक्षण में दिखाई जाए। उपरोक्त नियमानुसार भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन प्रतिवर्ष करवाया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

19 अन्य अनियमितताऐं:–

(i) वाउचर नस्ति में संलग्न व रोकड़ बही में वर्णित वाउचरों पर वाउचर संख्या अंकित नहीं की गई है जिन पर वाउचर संख्या अंकित की जाए तथा अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए !

(ii) लघु बचत निधि से सम्बंधित कार्य करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को दिए जा रहे मानदेय को मानदेय पंजिका में प्रविष्ट नहीं किया गया है जिसे मानदेय पंजिका में प्रविष्ट कर आगामी अंकेक्षण के समय प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए !

20 **निष्कर्ष:** लेखों में सुधार की आवश्यकता है !

हस्ता/–

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) (सी) (15) 76/84 खण्ड–3–3092–3093 दिनांक 27.03.2019
शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत 1 उपायुक्त एवं अध्यक्ष जिला खेल, शिक्षा संस्कृति, पुस्तकालय व अन्य ग्रामीण विकास निधि एवं लघु बचत पुरस्कार निधि सोलन, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

2 निदेशक, लघु बचत विभाग, हि0प्र0 शिमला–2

हस्ता/–

(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

परिशिष्ट(क)

अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा 1 के सन्दर्भ में

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.3.80 से 31.3.84

1	पैरा–5 (सी)	अनिर्णीत	
2	पैरा–6	अनिर्णीत	
3	पैरा–7	अनिर्णीत	
4	पैरा–9	अनिर्णीत	
5	पैरा–10	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1.4.1984 से 31.3.1989

1	पैरा–7	अनिर्णीत	
2	पैरा–8	अनिर्णीत	
3	पैरा–9	अनिर्णीत	
4	पैरा–10 (3)	अनिर्णीत	
5	पैरा–11	अनिर्णीत	
6	पैरा–12	अनिर्णीत	
7	पैरा–13	अनिर्णीत	
8	पैरा–14	निर्णीत	(क्योंकि यह पैरा अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/1989 से 3/1992 के पैरा संख्या 11(क) में समेकित कर दिया गया था/है)
9	पैरा–15	अनिर्णीत	
10	पैरा–16	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/1989 से 3/1992

1	पैरा– 6 (1 से 9)	अनिर्णीत	
2	पैरा–7 (1 से 5)	अनिर्णीत	
3	पैरा–8	अनिर्णीत	
4	पैरा–9 (1 से 5)	अनिर्णीत	
5	पैरा–10 (1 व 2)	अनिर्णीत	
6	पैरा–11 (क,ख)	अनिर्णीत	
7	पैरा–12	अनिर्णीत	

8	पैरा–13	अनिर्णीत	
9	पैरा– 14 (क, ख, ग, घ)	अनिर्णीत	
10	पैरा–15 (1 से 9)	अनिर्णीत	
11	पैरा–16 (1 से 8)	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/92 से 3/95

1	पैरा–5 (क व ख)	अनिर्णीत	
2	पैरा–6 (क, ख)	अनिर्णीत	
3	पैरा–7 (क, ख)	अनिर्णीत	
4	पैरा–8 (क, ख)	अनिर्णीत	
5	पैरा–8 (ड., च, छ)	अनिर्णीत	
6	पैरा–9	अनिर्णीत	
7	पैरा–10	अनिर्णीत	
8	पैरा–11	अनिर्णीत	
9	पैरा–12 (क)	निर्णीत	(पैरा 12 (क) में ₹304 की वसूली कर ली गई है, जिसकी अंकेक्षण के दौरान पुष्टि कर ली गई है ! अतः पैरा 12 (क) को निर्णित कर दिया गया है)
10	पैरा–12 (ख, ग, घ)	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन 4/1995 से 3/2003

1	पैरा–7 (ग, घ)	अनिर्णीत	
2	पैरा–7 (च, छ)	अनिर्णीत	
3	पैरा–8	अनिर्णीत	
4	पैरा–9	अनिर्णीत	
5	पैरा–10	अनिर्णीत	
6	पैरा–11	निर्णीत	(पत्र संख्या:Fin -2-C(ASS/jila pruskaar rasshi/lekha pariksha/2002-bhag –III-1122 dated 11/3/2015 द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है)
7	पैरा–13	अनिर्णीत	
8	पैरा–16	अनिर्णीत	

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2003 से 3/2006

1	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–7 (4)	अनिर्णीत
3	पैरा–9 (1, 2, 3, 4)	अनिर्णीत
4	पैरा–11	अनिर्णीत
5	पैरा–12	अनिर्णीत
6	पैरा–13	अनिर्णीत
7	पैरा–14	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2006 से 3/2008

1	पैरा–4	अनिर्णीत
2	पैरा–7	अनिर्णीत
3	पैरा–8	अनिर्णीत
4	पैरा–9	अनिर्णीत
5	पैरा–10	अनिर्णीत
6	पैरा–12	अनिर्णीत
7	पैरा–13	अनिर्णीत

अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2008 से 3/2013

1	पैरा–7	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
2	पैरा–8	अनिर्णीत	
3	पैरा–9	अनिर्णीत	
4	पैरा–10	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित)
5	पैरा–11	अनिर्णीत	
6	पैरा–12	अनिर्णीत	
7	पैरा–13	अनिर्णीत	
8	पैरा–14	अनिर्णीत	
9	पैरा–15	अनिर्णीत	
10	पैरा–16	अनिर्णीत	
11	पैरा–17	अनिर्णीत	

12	पैरा–18	अनिर्णीत	
13	पैरा–19	निर्णीत	(मकान किराया भत्ता की वसूली कर ली गई है, जिसकी अंकेक्षण के दौरान पुष्टि कर ली गई है)
14	पैरा–20	अनिर्णीत	
15	पैरा–21	निर्णीत	(₹600 की वसूली कर ली गई है, जिसकी अंकेक्षण के दौरान पुष्टि कर ली गई है)
16	पैरा–22	अनिर्णीत	
17	पैरा–23 (क)	निर्णीत	(पैरा संख्या 23 (क) को निर्णित कर वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में पुनः प्रारूपित किया गया है)
18	पैरा–23 (ख)	अनिर्णीत	
19	पैरा–23 (ग)	अनिर्णीत	
20	पैरा–24	निर्णीत	(वेतन भुगतान से सम्बंधित रसीदें प्राप्त कर ली गई है, जिसकी अंकेक्षण के दौरान पुष्टि कर ली गई है)